International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: **3108-1754 (Online)**
Volume 02 Issue 08 August-2026 | Impact Factor: 3.5

स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व, पंचायती राज संस्थाओं में नीति-निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ प्रवीर चन्द्र दुबे[1], अकरम खान[2].
सहायक प्राध्यापक, यमुना प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरमौर जिला रीवा (म प्र.) 486448
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग-शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म प्र.) 486001

How to Cite this Article:

दुबे, डॉ, and अकरम खान. "स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व, पंचायती राज संस्थाओं में नीति-निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन." International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management 02, no. 8 (2026): 1-8. https://doi.org/10.55041/ijcope.v2i8.187..

License:
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.

© The Author(s). Published by International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management.

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.55041/ijcope.v2i8.187

सारांश

यह शोध पत्र भारतीय स्थानीय स्वशासन, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला नेतृत्व की उभरती भूमिका, उनकी नीति-निर्माण क्षमता और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज में होने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है,भारतीय संविधान के ७३वें संशोधन अधिनियम, १९९२ के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, जिसे बाद में भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया गया[1]।

यह नीतिगत हस्तक्षेप भारतीय ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं को नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाने और पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने का एक युगांतरकारी प्रयास रहा है[1],हालांकि, संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के मध्य एक स्पष्ट अंतराल देखा गया है, जो 'सरपंच पति' या छद्म प्रतिनिधित्व जैसी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होता है[2],नैला कबीर के त्रि-आयामी सशक्तिकरण ढांचे (संसाधन, एजेंसी, और उपलब्धियां) और हाल ही में वर्ष २०२५ में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आलोक में, यह शोध पत्र महिला नेतृत्व के मार्ग में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं, उनके द्वारा नीति-निर्माण में दी जाने वाली प्राथमिकताओं (जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और शिक्षा), और ग्रामीण सामाजिक चेतना में आ रहे बदलावों का विश्लेषण करता है[1],अंततः, यह अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व को वास्तविक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों, दंडात्मक प्रावधानों और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है[10]।

मुख्य शब्द : महिला नेतृत्व, पंचायती राज संस्थाएं, नीति-निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, ७३वां संवैधानिक संशोधन, सरपंच पति, वास्तविक सशक्तिकरण, लिंग-संवेदनशील शासन।

1.0 भूमिका:-

भारतीय लोकतंत्र के विकास और सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में वर्ष १९९२ का ७३वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक क्रांतिकारी मोड़ सिद्ध हुआ[1],इस संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को न केवल संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बल्कि भारतीय समाज के सबसे हाशिए पर खड़े वर्गों-विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST)-की औपचारिक राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत रूप दिया[2],भारतीय संविधान के भाग IX के अंतर्गत सम्मिलित किए गए अनुच्छेद २४३D के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (३३.३३%) सीटों और अध्यक्ष पदों को आरक्षित करना अनिवार्य किया गया[2],इस नीतिगत हस्तक्षेप, जिसे सकारात्मक विभेद के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिंग-संतुलन को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया[4]।

संविधान द्वारा स्थापित न्यूनतम सीमा से आगे बढ़ते हुए, वर्तमान में देश के २१ राज्यों और २ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, और तेलंगाना) ने अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करके महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की सीमा को बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया है[3],इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में भारत की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) की संख्या लगभग १४.५ लाख से अधिक हो चुकी है, जो कुल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का लगभग ४६.६% है[2],यह संख्यात्मक भागीदारी वैश्विक स्तर पर जमीनी स्तर के लिंग-समावेशी शासन का सबसे बड़ा प्रयोग प्रस्तुत करती है[2]।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में ग्राम सभाओं का अस्तित्व प्राचीन काल और बौद्ध काल से ही रहा है, जहां गांव की संस्थाएं एक आत्मनिर्भर और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती थीं[14]। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में यह पारंपरिक प्रणाली जमींदारों और उच्च जातियों के पुरुषों तक ही सीमित रही, जिसमें महिलाओं और दलितों की भागीदारी नगण्य थी[16],महात्मा गांधी ने 'ग्राम स्वराज्य' के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन की परिकल्पना की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेंगी, तब तक देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है[17],इसके विपरीत, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्थानीय स्वशासन में दलितों और वंचितों के लिए आरक्षण पर बल दिया ताकि ग्रामीण सामाजिक पदानुक्रम के शोषण को रोका जा सके[19],स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति (१९५७) ने प्रत्येक पंचायत निकाय में दो महिलाओं को सह-योजित करने की सिफारिश की और अशोक मेहता समिति (१९७७) ने भी महिला भागीदारी को सुदृढ़ करने के उपायों पर बल दिया[12],परंतु, इन संस्थाओं को वास्तविक संवैधानिक शक्ति और वित्तीय स्वायत्तता ७३वें संशोधन के बाद ही प्राप्त हो सकी, जिसने महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र

International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: **3108-1754 (Online)**
Volume 02 Issue 08 August-2026 | Impact Factor: 3.5

में स्थापित किया[1]।

1.1 भारत में पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा और महिला प्रतिनिधित्व

1.2 देश भर में कुल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि (ERs)

1.3 कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs)

1.4 न्यूनतम संवैधानिक आरक्षण सीमा (अनुच्छेद २४३D)

1.5 ५०% महिला आरक्षण लागू करने वाले राज्य

1.6 पंचायती राज संस्थाओं का त्रि-स्तरीय ढांचा

2.0 शोध-समस्या:-

संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षाकृत सुगम रहा है, परंतु उनके वास्तविक सशक्तिकरण और स्वतंत्र निर्णय-निर्माण के मार्ग में गंभीर ढांचागत, सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रशासनिक चुनौतियां विद्यमान हैं[5],इस विरोधाभास की सबसे मुखर अभिव्यक्ति "सरपंच पति", "प्रधान पति" या "मुखिया पति" जैसी छद्म राजनीतिक प्रवृत्तियों के रूप में होती है[5],इस व्यवस्था के अंतर्गत, यद्यपि महिला औपचारिक रूप से चुनाव जीतती है और पद पर आसीन होती है, किंतु उसकी वास्तविक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग उसके पति, ससुर, या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, जिससे महिला केवल एक मूक गवाह या रबर-स्टैम्प बनकर रह जाती है[5]।

ग्रामीण भारत में गहराई से स्थापित जाति-पितृसत्तात्मक राजनीतिक मध्यस्थता, घूंघट प्रथा जैसी सामाजिक रूढ़ियां, महिलाओं में साक्षरता की कमी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं की अज्ञानता, तथा गतिशीलता पर सामाजिक प्रतिबंध इस छद्म राजनीति को निरंतर बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं[5]। उदाहरण के लिए, बिहार जैसे सामाजिक रूप से स्तरीकृत राज्य में, आधिकारिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि लगभग ६० प्रतिशत से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पारिवारिक पुरुषों के छद्म नियंत्रण में कार्य करती हैं[6]।

इसके अतिरिक्त, सीटों के रोटेशन (घूर्णन) की नीति के कारण महिलाओं को केवल पांच वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होता है, जिससे वे अपने नेतृत्व कौशल और दीर्घकालिक राजनीतिक पूंजी का विकास नहीं कर पाती हैं[5],पै (१९९८) के मेरठ जिले के क्षेत्र-अध्ययन दर्शाते हैं कि आरक्षण नीति के कारण कई अनपढ़ महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए विवश तो किया गया, परंतु वे घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखने और स्वतंत्र प्रशासनिक निर्णय लेने में असमर्थ रहीं[22],अतः शोध की मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार इन सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके महिलाओं के 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व' को 'वास्तविक नीति-निर्माण' और 'स्थायी सामाजिक परिवर्तन' के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

3.0 शोध-उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व के बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है,इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक प्रावधानों और राज्य-स्तरीय विधायी विविधताओं का परीक्षण करना[1]।
- महिला पंचायत प्रमुखों द्वारा किए जाने वाले नीतिगत निर्णयों के स्वरूप का विश्लेषण करना और यह जांचना कि क्या वे पुरुषों की तुलना में लिंग-संवेदनशील और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं[23]।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जाति-पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और 'सरपंच पति' जैसी छद्म प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों के पीछे जिम्मेदार कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना[5]।
- महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए चलाए जा रहे सरकारी अभियानों और २०२५ की हालिया नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से भविष्य के सुधारात्मक उपायों को रेखांकित करना[25]।

4.0 शोध-प्रश्न

प्रस्तुत अध्ययन स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व के व्यावहारिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित शोध-प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है:-

4.1 संवैधानिक और राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियों ने ग्रामीण महिलाओं के केवल औपचारिक प्रवेश को सुनिश्चित किया है या इसके माध्यम से उनकी वास्तविक एजेंसी और सामाजिक पहचान का भी विस्तार हुआ है[2]?

4.2 क्या महिला-नेतृत्व वाली पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय संसाधनों का आवंटन और नीति-निर्माण का स्वरूप पुरुष-नेतृत्व वाली पंचायतों की तुलना में भिन्न है[7]?

4.3 'सरपंच पति' अथवा छद्म नेतृत्व की समस्या महिला जनप्रतिनिधियों की निर्णय लेने की स्वायत्तता को किस सीमा तक बाधित करती है[5]?

4.4 पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार समिति (२०२५) की दंडात्मक और तकनीकी सिफारिशें छद्म राजनीतिक प्रवृत्तियों को रोकने और वास्तविक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं[9]?

5.0 साहित्य समीक्षा:-

पंचायती राज संस्थाओं में महिला भागीदारी और उनके द्वारा संचालित नीति-निर्माण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शोध कार्य किए गए हैं,इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी और व्यापक रूप से उद्धृत अध्ययन **राघवेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्तेर डुफ्लो** (२००१, २००४) का है[7],उन्होंने पश्चिम बंगाल (बीरभूम जिला) और राजस्थान (उदयपुर जिला) की

International Journal of Creative and Open Research in Engineering and Management
ISSN: **3108-1754 (Online)**
Volume 02 Issue 08 August-2026 | Impact Factor: 3.5

ग्राम पंचायतों के यादृच्छिक नीति प्रयोग का विश्लेषण करते हुए यह सिद्ध किया कि किसी राजनेता का लिंग सीधे तौर पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करता है[24]। उनके निष्कर्षों के अनुसार, महिला सरपंचों के नेतृत्व वाली पंचायतों में उन सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया गया जो सीधे तौर पर ग्रामीण महिलाओं की चिंताओं से जुड़ी थीं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल अवसंरचना, सार्वजनिक नल, और स्वच्छता सुविधाएं[1],इसके विपरीत, पुरुष प्रमुखों ने अनौपचारिक शिक्षा और सड़क संपर्क (विशेष रूप से दूरस्थ संपर्क) जैसी ढांचागत परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता दी[24]।
इसके अतिरिक्त, **डुफ्लो और टोपालोवा** (२००४) के एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि महिला नेताओं के अधीन आने वाले गांवों में सार्वजनिक संपत्तियों की गुणवत्ता पुरुषों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों की तुलना में समान या बेहतर थी, और वहां वित्तीय अनियमितताओं तथा रिश्वतखोरी के मामलों में भी कमी देखी गई[30]।
बीमन और उनके सहयोगियों (२००९) ने दर्शाया कि महिला प्रधानों की उपस्थिति ने न केवल स्थानीय स्तर पर सामाजिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं को बदला, बल्कि इसने युवा बालिकाओं की आकांक्षाओं को ऊँचा उठाया और समाज में महिलाओं के प्रति लिंग-पूर्वाग्रहों को भी काफी हद तक कम किया[31]।
भारतीय संदर्भ में **खुशबू दीक्षित** (२०२५) ने जयपुर स्थित पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज के शोध पत्र "द राइज ऑफ फेमिनिन लीडरशिप" (संपादक: डॉ. अनुजा जैन एवं डॉ. श्वेता शर्मा) में ग्रामीण महिला सरपंचों के समक्ष आने वाली दोहरी भूमिकाओं-घरेलू जिम्मेदारियां और सार्वजनिक प्रशासनिक दायित्व-के द्वंद्व का व्यापक विश्लेषण किया है[3]।
इसके अलावा, **बविस्कर** (२००५) का तर्क है कि आरक्षण ने महिलाओं को पारंपरिक लिंग सीमाओं को तोड़ने और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है[7]।
देशपांडे और शर्मा (२०१०) के अनुसार, स्थानीय स्वशासन में भागीदारी ने महिलाओं के सार्वजनिक भाषण कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि की है[7],वहीं दूसरी ओर, सिंह (२०१८) ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, १९९६ (PESA) और पारंपरिक जनजातीय रीति-रिवाजों के बीच होने वाले द्वंद्व को रेखांकित किया है, जो महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित करता है[31]।

6.0 सैद्धांतिक आधार

स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित सैद्धांतिक मॉडलों का सहारा लेता है:-
नैला कबीर का सशक्तिकरण प्रतिमान:-

नैला कबीर (१९९९) सशक्तिकरण को "उन लोगों की रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित करती हैं, जिन्हें पहले इस क्षमता से वंचित रखा गया था"[7],कबीर का यह ढांचा तीन अविभाज्य और अंतर्संबंधित आयामों पर आधारित है[8]:-

6.1 संसाधन : सशक्तिकरण की पूर्व-शर्तें, जिनमें केवल भौतिक संपत्तियां ही नहीं, बल्कि सामाजिक, मानव और कानूनी अधिकार भी शामिल हैं[8],पंचायती राज के संदर्भ में, ७३वां संवैधानिक संशोधन और ५०% आरक्षण महिलाओं के लिए एक संस्थागत और कानूनी 'संसाधन' के रूप में कार्य करता है[2]।

6.2 एजेंसी : निर्णय लेने, बातचीत करने, सौदेबाजी करने, विरोध करने और पारंपरिक सीमाओं को लांघने की प्रक्रिया[8],यह इस बात का विश्लेषण करती है कि क्या निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बिना किसी पुरुष दबाव के पंचायत बैठकों की अध्यक्षता करने और बजट स्वीकृत करने की 'एजेंसी' रखती हैं[5]।

6.3 उपलब्धियां : एजेंसी के व्यावहारिक परिणाम[8],जब महिलाएं स्वतंत्र रूप से नीतिगत प्राथमिकताओं (जैसे सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता, और बाल विकास) को लागू करती हैं और अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाती हैं, तो यह वास्तविक 'उपलब्धि' कहलाती है[8]।

7.0 उदारवादी नारीवाद का दृष्टिकोण:-

उदारवादी नारीवाद मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र, कानूनी सुधारों, राजनीतिक और संस्थागत संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकें[4],इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक नागरिकता और पुरुषों के साथ राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण समानता प्राप्त करना है[4]। पंचायती राज संस्थाओं में लिंग-आरक्षण इसी उदारवादी नारीवादी दृष्टिकोण का एक व्यावहारिक उपकरण है, जो सकारात्मक कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करता है[4]।

7.1 जो रोवलैंड्स का शक्ति ढांचा:-

जो रोवलैंड्स (१९९५) के अनुसार, सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल "शक्ति प्राप्त करने" (Power Over) तक सीमित नहीं है[4],उन्होंने शक्ति को चार स्तरों पर विश्लेषित किया है: 'पावर विदइन' (आत्म-विश्वास और व्यक्तिगत चेतना का उदय), 'पावर टू' (कौशल विकास और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता), 'पावर विद' (महिला संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक एकजुटता), और 'पावर ओवर' (पारंपरिक सामाजिक बाधाओं और पुरुष वर्चस्व को चुनौती देना)।

8.0 शोध-प्रारूप एवं विश्लेषण पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र का ढांचा मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों के समन्वय पर आधारित है,इस अध्ययन में प्राथमिक रूप से पूर्व-स्थापित अकादमिक अध्ययनों और राष्ट्रीय स्तर के प्रामाणिक सांख्यिकीय डेटा का उपयोग किया गया है,द्वितीयक आंकड़ों के रूप में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के बुनियादी सांख्यिकी प्रतिवेदन २०२५[13], सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की रिपोर्ट 'वीमेन एंड मैन इन इंडिया २०२४'[3], तथा फरवरी २०२५ में प्रस्तुत केंद्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है[25]।
अनुसंधान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्यों के रूप में रवि कांत पांडेय (२०२५) के बिहार के रोहतास और नालंदा जिलों में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन का संदर्भ लिया गया है, जिसमें ९० निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (३० मुखिया/सरपंच, ३० पंच, और ३० वार्ड सदस्य) का साक्षात्कार और १० फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGDs) शामिल थे[32],इस शोध प्रारूप में सशक्तिकरण को राजनीतिक (ग्राम सभा में भागीदारी, निर्णय-निर्माण में प्रभाव), सामाजिक (गतिशीलता, आत्मविश्वास, सामुदायिक पहचान) और

आर्थिक (वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण, स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी) पैमानों पर मापकर विश्लेषण किया गया है[32]।

9.0 विश्लेषण एवं व्याख्या:-

राज्य-स्तरीय विधायी विविधताएं और महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद २४३D पंचायती राज संस्थाओं में न्यूनतम ३३.३३% महिला आरक्षण का प्रावधान करता है[2],परंतु, भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर ५०% कर दिया है[3],बिहार वर्ष २००६ में इस क्रांतिकारी नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना[19],इसके बाद अन्य राज्यों ने भी लिंग समानता की दिशा में कदम बढ़ाए[3]।

५०% महिला आरक्षण लागू करने वाले प्रमुख राज्य :-
बिहार,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,झारखंड,असम,पश्चिम बंगाल,पंजाब,उत्तराखंड.

इन कानूनी संशोधनों के बावजूद देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दादरा एवं नगर हवेली में महिला प्रतिनिधित्व अभी भी ३३% से कम बना हुआ है।

9.1 राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का असंतुलन:- स्थानीय शासन बनाम राष्ट्रीय विधायिका

यद्यपि स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सराहनीय रही है, परंतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में लिंग प्रतिनिधित्व का अंतर अभी भी अत्यंत चिंताजनक बना हुआ है।

9.1.1 स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रीय संसद और वैश्विक मानकों का तुलनात्मक विश्लेषण:-

- पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) - राष्ट्रीय औसत
- १८वीं लोकसभा (भारतीय संसद का निचला सदन)
- भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद
- वैश्विक संसदीय प्रतिनिधित्व औसत (IPU डेटा २०२६)
- महिला संसदीय प्रतिनिधित्व में भारत का वैश्विक स्थान

यह तुलना दर्शाती है कि स्थानीय निकायों में आरक्षण ने महिलाओं को जमीनी स्तर पर तो स्थापित किया है, परंतु राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद में उनके प्रवेश की गति अत्यंत धीमी है,यद्यपि १०६वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, २०२३ द्वारा संसद और विधानसभाओं में ३३% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु इसका क्रियान्वयन वर्ष २०२६ के बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास तक स्थगित कर दिया गया है।

9.2 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सामाजिक-डेमोग्राफिक प्रोफाइल:-

आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व पर किए गए एक अनुभवजन्य अध्ययन से महिला जनप्रतिनिधियों के आयु-वर्ग और धार्मिक प्रोफाइल के महत्वपूर्ण रुझान सामने आते हैं[4]।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का आयु और धार्मिक प्रोफाइल

आयु वर्ग (वर्षों में)

२६ से ३५ वर्ष
३६ से ४५ वर्ष
४६ से ५५ वर्ष
५५ वर्ष से अधिक

धार्मिक संबद्धता

हिंदू
मुस्लिम
ईसाई
अन्य

इस डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर युवा और मध्यम आयु वर्ग (२६ से ४५ वर्ष) की महिलाएं सबसे अधिक सक्रिय रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आ रही हैं, जो ग्रामीण भारत में युवा महिला नेतृत्व के एक नए युग का संकेत है[4]।

9.3 'सरपंच पति' प्रथा का उन्मूलन और सुधारात्मक नीतियां:-

प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व या 'सरपंच पति' की समस्या केवल एक सांस्कृतिक पिछड़ापन नहीं है, बल्कि यह गहरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक सुविचारित तंत्र है जिसके तहत पुरुष अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए महिलाओं का मुखौटे के रूप में उपयोग करते हैं[5],इस विकृति से निपटने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सितंबर २०२३ में एक सलाहकार समिति का गठन किया था[5],इस समिति ने फरवरी २०२५ में अपनी व्यापक सिफारिशें सौंपी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है[25]।

सलाहकार समिति (२०२५) की प्रमुख सिफारिशें और उनका क्रियान्वयन तंत्र

- ✓ **समिति की सिफारिश**
- ✓ **कठोर दंडात्मक प्रावधान**
- ✓ **डिजिटल और तकनीकी निगरानी**
- ✓ **लिंग-विशिष्ट विषयक कोटा**
- ✓ **प्रशासनिक अधिकार की सार्वजनिक पुष्टि**
- ✓ **एआई-संचालित विधिक प्रशिक्षण**
- ✓ **जवाबदेही और सुरक्षा तंत्र**

इसके समानांतर, सरकार ने महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए **सशक्त पंचायत नेत्री अभियान** के तहत विशेषीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है[26],पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत, जिसका कुल बजटीय परिव्यय ५,९११ करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा ३,७०० करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा २,२११ करोड़ रुपये) है, वित्तीय वर्ष २०२२-२३ से २०२५-२६ के दौरान लगभग ३०.९४ लाख से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है[26],इनमें से १.०५ लाख से अधिक महिला प्रतिनिधियों ने "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के विशेष मॉड्यूल का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक सौदेबाजी की क्षमता में भारी सुधार हुआ है[15]।

10. निष्कर्ष:-

स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारत में ७३वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू की गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण लिंग-संबंधों और स्थानीय शासन के स्वरूप को मौलिक रूप से बदला है[1] हालांकि, राजनीतिक प्रवेश की संख्यात्मक सफलता (४६.६% महिला प्रतिनिधित्व) अभी भी पूरी तरह से गुणात्मक और स्वतंत्र सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो सकी है, क्योंकि पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाएं 'सरपंच पति' के रूप में सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करती हैं[2]।

सशक्तिकरण कोई एकरेखीय या तात्कालिक परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली जटिल सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया है[8],जब तक महिलाओं को केवल 'संख्या' के रूप में देखा जाएगा, तब तक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन अधूरा रहेगा[2],इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं की 'एजेंसी' को सुदृढ़ किया जाए, जो केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि व्यापक क्षमता निर्माण, साक्षरता प्रसार, स्वयं सहायता समूहों के साथ संस्थागत जुड़ाव और पुरुष समाज के लिंग-संवेदीकरण से ही संभव है[8]।

वर्ष २०२५ की सलाहकार समिति की सिफारिशें विशेष रूप से डिजिटल ट्रैकिंग (पंचायत निर्णय पोर्टल), एआई-आधारित कानूनी सहायता, केरल-शैली के विषयगत लिंग कोटे, और प्रॉक्सी पुरुषों पर दंडात्मक प्रावधान-स्थानीय स्वशासन को वास्तविक रूप से समावेशी बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करती हैं[10],इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करके ही भारत ग्राम स्वराज्य और लिंग न्याय के गांधीवादी तथा संवैधानिक स्वप्न को साकार कर सकता है[18]।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आर्कजीआईएस.. https://www.arcgis.com/home/item.html?id=629fcbbebf174deca52ab27677ad62c5

2. बोस, ए. (2022, 27 फरवरी). पंचायती राज संस्थाएं - भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तीस वर्ष बाद. https://www.rgics.org/governance/panchayati-raj-institutions-thirty-years-after-the-73rd-amendment-of-the-indian-constitution/

3. बर्नवाल, आर. के. (2026). झारखंड में महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका: एक आलोचनात्मक विश्लेषण [पत्रिका लेख]. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी), 14(2), b943–b945. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2606221.pdf

4. चड्ढा, आर., भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, और सिंह, आर. आर. (2026). निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का परोक्ष प्रतिनिधित्व,राज्यसभा में। https://sansad.in/getFile/annex/270/AU1350_VxdAtv.pdf?source=pqars

5. चट्टोपाध्याय, आर. सी., और डुफ्लो, ई. (2004). नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य,इकोनोमेट्रिका, 72(5), 1409–1443। https://economics.mit.edu/sites/default/files/2022-08/Women%20as%20Policy%20Makers%20Evidence%20from%20a%20Randomized.pdf

6. चट्टोपाध्याय, आर., डुफ्लो, ई., और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो,(2001),नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत-व्यापी यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य (कार्य पत्र 8615),नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च। https://www.nber.org/system/files/working_papers/w8615/w8615.pdf

7. क्लाइंट चैलेंज, https://www.scribd.com/document/945873735/WomensLeadershipandParticipationinPanchayatiRajInstitutionsAnAnalyticalStudy

8. क्लाइंट चैलेंज, https://www.scribd.com/document/959154546/Naila-Kabeer-Women-s-Empowerment

9. डेस्क, I. (2025, 28 मार्च), ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (PRI) में महिला नेतृत्व: समीक्षा - IMPRI इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। https://www.impriindia.com/insights/women-leadership-panchayati-raj-system/

10. डुफ्लो, ई ., और टोपालोवा, पी . (2004),अनअप्रिशिएटेड सर्विस: भारत में प्रदर्शन, धारणाएं और महिला नेता।

11. एकदेश चौधरी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च में (वॉल्यूम 9, अंक 3, पृष्ठ 81–84)। https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2023/vol9issue3/9087-1688111994914.pdf

12. ओडिशा में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति के बारे में बताएं,उनकी भूमिका और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें,साथ ही, इस संबंध में 2023 में गठित पंचायती राज मंत्रालय की समिति की सिफारिशों का भी उल्लेख करें,। https://licchavilyceum.com/explain-the-role-status-of-women-in-panchayati-raj-institutions-in-odisha-give-suggestions-to-improve-their-role-status-also-mention-the-recommendation-of-the-committee-of-ministry-of-panchayati-raj/

13. GSDRC गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन नॉलेज सर्विसेज़ GSDRC - GSDRC. (2015, 4 सितंबर). रिसोर्स, एजेंसी, उपलब्धियां: महिलाओं के सशक्तिकरण को मापने पर विचार - GSDRC. GSDRC - गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन नॉलेज सर्विसेज़।

https://gsdrc.org/document-library/resources-agency-achievements-reflections-on-the-measurement-of-womens-empowerment/

14. इम्पैक्ट मोजो. (2026, 2 जून). सशक्तिकरण को मापना । https://www.impactmojo.in/deepdives/measuring-empowerment

15. जाधव ,व्ही (2026, 13 अप्रैल). : पंचायतों से संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे कम होता है. ।

https://www.indiaspend.com/data-viz/dataviz-how-womens-representation-declines-from-panchayats-to-parliament-983389

16. कश्यप ,डी .के , &सक्सेना ए . (2023). छत्तीसगढ़ की पंचायतों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, (वॉल्यूम 66–66, अंक 12, पेज 267–268) [जर्नल-आर्टिकल]. https://xianshiyoudaxuexuebao.com/dashboard/uploads/27.JXSU.pdf

17. खान, ए. (2026). भारत में पंचायती राज में जेंडर आरक्षण का संरचनात्मक विश्लेषण,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च, 14(04), 940–952।https://doi.org/10.21474/ijar01/23267

18. कुमार, सी. (2026). पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं: बिहार के पटना जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन,ज़ेनोडो (CERN यूरोपियन ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर

न्यूक्लियर रिसर्च)। https://doi.org/10.5281/zenodo.20131559

19. कुमार, आर., बख्शी, ई., पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप, कुणाल सिंह, ALIGN प्रोग्राम, ODI ग्लोबल, RSCD (रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट), ग्राम वाणी, मंथन, ALIGN, ODI ग्लोबल, जान मिचालको, प्रो. मंजुला भारती, प्रो. अनघा तांबे, टेरेस जॉनसन, गार्थ स्टीवर्ट, और जेन लैनिगन,(2026). हाशिए से नेतृत्व तक: भारत के स्थानीय शासन में जाति और जेंडर की गतिशीलता। https://www.alignplatform.org

20. नायर, एस. के. (2025, 26 फरवरी). सरकारी पैनल ने पंचायत पदों पर कब्ज़ा करने वाले पुरुष रिश्तेदारों के लिए कड़ी सज़ा की सिफारिश की,द हिंदू। https://www.thehindu.com/news/national/govt-panel-recom

21. पांडे, आर. के. (2025). ग्रामीण बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: पंचायती राज में आरक्षण का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 7(11), 196–201. https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i11c.761

22. पॉल, एन. और CORD. ,. [ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में महिला नेतृत्व पर एक केस स्टडी],http://nirdpr.org.in/nird_docs/casestudies/cord/cord1.pdf

23. रविंदर, टी. (2026). पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: तेलंगाना में एक अध्ययन,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज़, 21(3), 135–143. https://doi.org/10.37648/ijps.v21i03.021

24. रिपोर्ट्स , पंचायती राज मंत्रालय , भारत, https://panchayat.gov.in/en/reports/

25. सेन, एम. (2026). भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं: प्रतिनिधित्व, भूमिकाएं और समकालीन चुनौतियां,Zenodo (CERN यूरोपियन ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर न्यूक्लियर रिसर्च)। https://doi.org/10.5281/zenodo.19099383

26. शर्मा, एस. (2016). भारत में पंचायती राज प्रणाली और महिला सशक्तिकरण: एक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT) में (वॉल्यूम 4, अंक 1, पृष्ठ 484–486) ,https://ijcrt.org/papers/IJCRT1136070.pdf

27. शोध मंथन वॉल्यूम XVI विशेष अंक फरवरी 2025,(2025),शोध मंथन, XVI(विशेष अंक), 74. https://anubooks.com/uploads/special_issue_pdf/175715785919.%20Rachna%20Devi,%20Prof.%20Meenakshi%20Sharma%2074-79.pdf

28. सिंह, आर. आर. (2026a). सरपंच पति प्रथा,लोकसभा में। https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU5199_YNZ5CC.pdf?source=pqals

29. सिंह, आर. आर. (2026b). पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रधान,लोकसभा में। https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU5227_AFGJce.pdf?source=pqals

30. स्मिता, के. सी. और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज,(2007). जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक। http://103.154.2.116/~max233devisec/wp-content/uploads/2023/07/WP-186.pdf

31. महिलाओं के संबंध में बिहार ने कौन सी अग्रणी उपलब्धि हासिल की? (2026, 12 अगस्त),टेस्टबुक। https://testbook.com/question-answer/what-pioneering-milestone-did-bihar-achieve-regard--69f1de4ecf51a9d424e6cd0b

32. चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के प्रॉक्सी (प्रतिनिधि के स्थान पर अन्य व्यक्ति का कार्य करना) प्रतिनिधित्व से निपटना। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226324&reg=3&lang=1

33. अनिर्धारित,(2025, 27 फरवरी),पंचायती राज पर सलाहकार समिति की सिफारिशें। INSIGHTS IAS - UPSC IAS परीक्षा की तैयारी को आसान बनाना। https://www.insightsonindia.com/2025/02/27/advisory-committee-recommendations-on-panchayati-raj/

34. वेगास, एस. एस. (2019),पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व - चुनौतियां और संभावनाएं। https://www.pria.org/knowledge_resource/1555061639_Womens%20Political%20Leadership%20in%20Panchayats%20Raj%20Institutions

-%20%20Challenges%20%20Prospect.pdf

35. VisionIAS. (2025, 27 फरवरी),पंचायती राज मंत्रालय (MOPR) की समिति ने PRIs में प्रॉक्सी भागीदारी को खत्म करने के तरीकों की सिफारिश की , करंट अफेयर्स ,Vision IAS. करंट अफेयर्स |. https://visionias.in/current-affairs/news-today/2025-02-27/polity-and-governance/panel-by-ministry-of-panchayati-raj-mopr-recommends-ways-for-eliminating-proxy-participation-in-pris

36. पंचायती राज संस्थाओं में शुरू में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था? (2026, 11 जनवरी),https://www.gktoday.in/question/what-percentage-of-reservation-for-women-was-initially-provided-in-pan-437847

37. विकिपीडिया योगदानकर्ता,(2026, 23 जुलाई),भारत में पंचायती राज. विकिपीडिया। https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj_in_India

38. नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत में एक रैंडमाइज्ड पॉलिसी प्रयोग से प्रमाण | जेंडर एक्शन पोर्टल,,https://gap.hks.harvard.edu/women-policy-makers-evidence-randomized-policy-experiment-india

39. गुलशन कुमार रजक - गुलशन कुमार रजक. (2025). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स, 7(10), 39–42. https://www.multisubjectjournal.com/article/806/7-10-15-742.pdf